भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5233
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

मुफ्त राशन वितरण

5233. श्रीमती लवली आनंद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन वितरण संबंधी प्रधानमंत्री की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसके समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना का किसानों और खाद्य उत्पादन प्रणाली पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ.) वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को रोकने और उसमें लाभार्थियों को राशन का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न निगरानी तंत्र विकसित किए गए हैं; और

(ड.) भविष्य में उक्त योजना को टिकाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यनीति अपनाई जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को देश में कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों के समक्ष आई कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। पीएमजीकेएवाई के तहत, लाभार्थी अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच), प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र थे, जो कोविड-19 के दौरान नियमित आबंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 माह की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जिसका कुल नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये था।

...2/-

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से एएवाई परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए थे। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

केंद्र सरकार, एनएफएसए के अंतर्गत पात्र परिवारों के व्यक्तियों को खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा आबंटित करती है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक की खरीद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के माध्यम से किसानों से की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से राज्य खाद्य आयोग के गठन/पदनाम का प्रावधान करता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम में स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है। केंद्र सरकार भी ऐसे लेखा परीक्षा करने में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा कर सकती है या करवा सकती है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कामकाज तथा इस प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है।

निःशुल्क खाद्यान्न का प्रावधान समाज के प्रभावित वर्ग की वित्तीय कठिनाई को संधारणीय रूप से कम करेगा तथा लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित करेगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

*****